ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसाइटी (SSAAT)
कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-222703:

Azadi Ka Amrit Mahot

क्रमांक एफ 61 (158) SSAAT/ सा.अंके. / चयन / 2023/ 8911 जयपुर दिनांक 10/01/2024

अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, समस्त

विषयः– जिले में सामाजिक अंकेक्षण कार्य हेतु मानदेय पर आधारित ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पद के लिये चयनित व्यक्तियों की अन्तिम चयन सूची भेजने के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मानदेय पर आधारित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों का जिला स्तर पर चयन करने हेतु सोसायटी के पत्रांक एफ 61 (158) SSAAT/ सा.अंके./2020–21/9559 दिनांक 28.09.2022, पत्रांकः एफ. 61 (158) SSAAT/ सा.अंके./2020–21/9584 दिनांक 29.09.2022, पत्रांकः एफ. 61 (158) SSAAT/ सा.अंके./2020–21/9729 दिनांक 07.10.2022, पत्रांकः एफ. 61 (158) SSAAT/ सा.अंके./2020–21/9778 दिनांक 11.10.2022 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये। इसके अलावा भी इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन की कार्यवाही शीघ्र किये जाने के संबंध में निर्देश जारी किये गये।

सामाजिक अंकेक्षण संबंधित प्रकरणों पर दिनांक 13.12.2023 व 14.12.2023 के जिला परिषदों में कार्यरत (PO Accounts) से आयोजित बैठक में समस्त जिलों में ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन प्रक्रिया के संबंध में निम्न दिशा निर्देश दिये गयेः–

1. चयन हेतु सोसायटी के नियमों के अन्तर्गत जिला स्तर पर गठित कमेटी कों ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन में पूर्ण शक्तियॉ प्राप्त है।
2. जिन जिलों में स्वीकृत संख्या से कम आवेदकों का चयन हुआ है अथवा चयन प्रक्रिया किसी कारणवश रद्द हो गयी हो तो वहॉ शीघ्र नई विज्ञप्ति जारी कर चयन प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ की जावें।
3. जिन जिलों द्वारा बीआरपी चयन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई उन्हें कमेटी के हस्ताक्षर सहित तुरन्त भिजवाने का दिशा निर्देश जारी करते हुये माह दिसम्बर 2023 में पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिये गये ताकि चयनित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों को माह जनवरी 2024 में प्रशिक्षण दिलाये जाने की कार्यवाही की जा सकें।

यह खेद का विषय है कि सोसायटी द्वारा ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के चयन के संबंध में बार–बार स्मरण करवाये जाने के बावजूद भी अभी तक जिलों सें पात्र आवेदकों की अन्तिम चयन सूची इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। जिसके कारण पात्र अभ्यर्थियों

को सोसायटी के विनियम के अन्तर्गत उनकों NIRDPR की ओर से आयोजित 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ नहीं किया जा रहा है।

पुनः में निर्देशित किया जाता है कि अर्हता संबंधी दस्तावेजों का उनके मूल दस्तावेजों से सत्यापन पश्चात पात्र अभ्यर्थियों की अंतिम चयनसूची सोसायटी (SSAAT) कार्यालय को उपलब्ध करवायी जायें ताकि पात्र अभ्यर्थियों को 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिलाया जा सकें।

भवदीय

(संदीप चौहान)
निदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

क्रमांक एफ 61 (158) SSAAT/सा.अंके. / चयन / 2023/6912-13
जयपुर दिनांक 10/01/202

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान।
2. परियोजना अधिकारी (लेखा) एवं नोड़ल अधिकारी, सामाजिक अंकेक्षण जिला परिषद समस्त राजस्थान।

(मनोज कंवर)
उपनिदेशक
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

d:\d\dinesh ji misra\brp\brp letters.docx